COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

FEE INDIA TEN RUPEES

494

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वलियर (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0494

प्र.क्रं. /2018. निगरानी

केशब आयु21वर्ष पुत्र रामचरण जाति हरिजन धंधा खेती निवासी खामखेडा तहसील त्योदा जिला विदिशा म.प्र. –आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

सरस्तवीबाई आयु81वर्ष बेवा स्वा0मुन्जा जाति हरिजन निवासी ग्राम खामखेडा तह. त्योदा जिला विदिशा (म.प्र.) ——अनावेदक

पं.क्र. 21 श्रीवास्तव 17-1-18

8-2-18

17-1-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा के प्रकरण कमांक 201 अपील 16–17 मे पारित आदेश दिनांक 26/12/2017 के विरूद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

निगरानी प्रार्थी निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

माननीय महोदय,

1:– यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील त्योदा मे आवेदन अतंगर्त धारा 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता के प्रकरण कमांक 47/अ–6/2016–17 के तहत आवेदन पेश किया था जो कि माननीय तहसीलदार द्वारा तहसील त्योदा द्वारा दिनांक 17/8/2017 को स्वीकार कर नामांत्रण का आदेश पारित कर दिया था

2:– यह कि अनावेदक/अपीलार्थी ने माननीय तहसीलदार महोदय तह0त्योदा के आदेश दिनांक 17/8/2017 के विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा मे अपील प्रस्तृत की जिसका अपील कमांक 201 अपील 16–17 है

3:– यह कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधिवत नामांत्रण की कार्यवाही कर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर दोनो पक्षो के समक्ष आदेश दिनांक 17/8/2017 को पारित किया गया था विधिवत अनावेदक ने उक्त आदेश को नोट किया था परन्तू अपीलार्थी ने जानबुझकर समय अवधि मे अपील प्रस्तृत नही की गई है जबकि अनावेदक को अपील प्रस्तृत करने की अवधि अच्छी तरह से ज्ञात थी अपीलार्थी ने जानबुझ कर कानून की अवेधलना की है जो कि माफी योग्य नही है जबकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय और आवेदक का गाव लगभग 35 किलोमीटर पर मैन पक्की सडक पर स्थित है आवागमन के साधन वारिस के समय मे भी पर्याप्त सुलभ है परन्तु अनावेदक उक्त प्रकरण मे जबरन राजनीतिक करण करना चाह रही है क्योकि पुर्व मे भी वह जनपद पचांयत वार्ड क 22 से चुनाव लड चुकी है अपीलार्थी जब वारिस के समय माननीय कलेक्टर महोदय विदिशा जो कि गांव से 70 किलोमीटर दूर मे जाकर तहसील न्यायालय के विरूद्ध झुठी शिकवा शिकायत कर आई तो वह माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील ...

494

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0494

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह, निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	